

भोपाल, दिनांक 3 जुलाई, 2024

माननीय उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, श्री जगदीश देवडा ने आज मध्यप्रदेश विधान सभा में वर्ष 2024-25 का बजट प्रस्तुत किया है, जिसके मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं:-

- आगामी पांच वर्षों में बजट का आकार दोगुना, पूँजीगत निवेश को बढ़ाना, सड़क, सिंचाई एवं बिजली सुविधाओं का विस्तार, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं, रोजगार सृजन हेतु निवेश आकर्षित करना, को वृष्टिगत रखते हुये वर्ष 2024-25 का बजट प्रस्तुत किया गया।
- "जनता का बजट जनता के लिए"- बजट तैयार करने हेतु जनता के सुझाव प्राप्त कर बजट में सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है।
- वर्ष 2024-25 का बजट **NP Govt. Day** एप के माध्यम से देखा जा सकेगा। बजट .... वित्त विभाग के वेबसाईट पर भी उपलब्ध रहेगा।
- बजट 2024-25 के प्रमुख बिन्दु इस प्रकार हैं:-
  - कुल विनियोग की राशि ₹ 3,65,067 करोड़, जो विगत वर्ष की तुलना में 16% अधिक है।
  - बजट 2024-25 में राजस्व आधिक्य ₹ 1,700 करोड़ रहने का अनुमान
  - अनुमानित राजस्व प्राप्तियां ₹ 2,63,344 करोड़ हैं, जिसमें राज्य के स्वयं के कर की राशि ₹ 1,02,097 करोड़, केन्द्रीय करों में प्रदेश का हिस्सा ₹ 95,753 करोड़, करेतर राजस्व ₹ 20,603 करोड़ एवं केन्द्र से प्राप्त सहायता अनुदान ₹ 44,891 करोड़ शामिल
  - वर्ष 2024-25 में वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान की तुलना में राज्य स्वयं के कर राजस्व में 18% की वृद्धि अनुमानित
  - वर्ष 2024-25 में वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान की तुलना में पूँजीगत परिव्यय में लगभग 15% की वृद्धि अनुमानित
  - अनुसूचित जनजाति (सब-स्कीम) हेतु ₹ 40,804 करोड़ (23.4%)
  - अनुसूचित जाति (सब-स्कीम) हेतु ₹ 27,900 करोड़ (16%)
  - वर्ष 2024-25 में पूँजीगत परिव्यय राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4.25% अनुमानित
  - वर्ष 2024-25 में व्याज भुगतान कुल राजस्व प्राप्तियों का 10.40%
  - सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राजकोषीय घटा का 4.11% अनुमानित

### **बजट 2024-25 की मुख्य योजनाओं के प्रावधान**

- मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 हेतु ₹18984 करोड़ का प्रावधान
- सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना हेतु ₹15509 करोड़ का प्रावधान
- माध्यमिक शालायें हेतु ₹9258 करोड़ का प्रावधान
- अटल कृषि ज्योति योजना हेतु ₹6290 करोड़ का प्रावधान
- 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान हेतु ₹5965 करोड़ का प्रावधान
- समग्र शिक्षा अभियान हेतु ₹5100 करोड़ का प्रावधान
- अंशदायी पैशन योजना हेतु ₹5000 करोड़ का प्रावधान
- म.प्र.वि.म. द्वारा 5 एच.पी. के कृषि पर्म्पों/थेशरों तथा एक बत्ती कनेक्शन को निःशुल्क विद्युत प्रदाय की प्रतिपूर्ति हेतु ₹4775 करोड़ का प्रावधान
- शासकीय हाई / हायर सेकेन्डरी शालायें हेतु ₹4567 करोड़ का प्रावधान
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन यू एच एम/एन आर एच एम) हेतु ₹4500 करोड़ का प्रावधान
- प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु ₹4000 करोड़ का प्रावधान
- प्रदेश कर से नगरीय निकायों को हस्तान्तरण (चूंगी क्षतिपूर्ति) हेतु ₹3600 करोड़ का प्रावधान
- अटल गृह ज्योति योजना हेतु ₹3500 करोड़ का प्रावधान
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हेतु ₹3500 करोड़ का प्रावधान

- आंगनवाड़ी सेवाएँ (सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0) हेतु ₹3469 करोड़ का प्रावधान
- बांध तथा संलग्न कार्य हेतु ₹2860 करोड़ का प्रावधान
- चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय हेतु ₹2452 करोड़ का प्रावधान
- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण हेतु ₹2400 करोड़ का प्रावधान
- कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय हेतु ₹2390 करोड़ का प्रावधान
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेतु ₹2001 करोड़ का प्रावधान
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु ₹1788 करोड़ का प्रावधान
- जिला /सिविल अस्पताल एवं औषधालय हेतु ₹1680 करोड़ का प्रावधान
- ग्रामीण सड़कों एवं अन्य जिला मार्गों का निर्माण/उन्नयन हेतु ₹1500 करोड़ का प्रावधान
- जिला माइनिंग फण्ड हेतु ₹1300 करोड़ का प्रावधान
- लाइली लक्ष्मी योजना हेतु ₹1231 करोड़ का प्रावधान
- आपदा प्रबंधन योजनाओं को बनाये जाने हेतु हेतु ₹1193 करोड़ का प्रावधान
- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना हेतु ₹1167 करोड़ का प्रावधान
- मेट्रो रेल हेतु ₹1160 करोड़ का प्रावधान
- केन्द्रीय सड़क निधि हेतु ₹1150 करोड़ का प्रावधान
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पैशन हेतु ₹1144 करोड़ का प्रावधान
- हाउसिंग फॉर ऑल हेतु ₹1020 करोड़ का प्रावधान
- प्रधानमंत्री जनमन योजना (आवास) हेतु ₹1000 करोड़ का प्रावधान
- समर्थन मूल्य पर किसानों से फसल उपार्जन पर बोनस का भुगतान हेतु ₹1000 करोड़ का प्रावधान
- सहकारी बैंकों को अंशपूँजी हेतु ₹1000 करोड़ का प्रावधान
- मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना हेतु ₹1000 करोड़ का प्रावधान

### **क्षेत्रवार मुख्य आंकड़े निम्नानुसार हैं:-**

कृषि क्षेत्र	
उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	पौध शाला उद्यान हेतु ₹151 करोड़ का प्रावधान प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन हेतु ₹124 करोड़ का प्रावधान संचालनालय एवं अधीनस्थ कार्यालय हेतु ₹115 करोड़ का प्रावधान
किसान कल्याण तथा कृषि विकास	अटल कृषि उद्योग योजना हेतु ₹5510 करोड़ का प्रावधान मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना हेतु ₹4900 करोड़ का प्रावधान म.प्र.वि.म. द्वारा 5 एच.पी. के कृषि पम्पों/थ्रेशरों तथा एक बत्ती कनेक्शन को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु प्रतिपूर्ति हेतु ₹2475 करोड़ का प्रावधान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेतु ₹2001 करोड़ का प्रावधान मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना हेतु ₹1000 करोड़ का प्रावधान अधीनस्थ तथा विशेषज्ञ कर्मचारी वृन्द (जिला एवं अधीनस्थ स्तर का अमला) हेतु ₹521 करोड़ का प्रावधान फूड एण्ड न्यूट्रीशन सिक्योरिटी हेतु ₹396 करोड़ का प्रावधान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु ₹266 करोड़ का प्रावधान सब मिशन आन फार्म वाटर मेनेजमेंट हेतु ₹235 करोड़ का प्रावधान ट्रैक्टर एवं कृषि उपकरणों पर अनुदान (एस.एम.ए.एम.) हेतु ₹208 करोड़ का प्रावधान
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	समर्थन मूल्य पर किसानों से फसल उपार्जन पर बोनस का भुगतान हेतु ₹1000 करोड़ का प्रावधान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत परिवहन कमीशन व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु ₹550 करोड़ का प्रावधान रसोई गैस सहायता योजना (उज्जवला) हेतु ₹320 करोड़ का प्रावधान रसोई गैस सहायता योजना (गैर उज्जवला) हेतु ₹200 करोड़ का प्रावधान
पशुपालन एवं डेयरी	गहन पशु विकास परियोजना हेतु ₹895 करोड़ का प्रावधान गौ संवर्धन एवं पशुओं का संवर्धन हेतु ₹252 करोड़ का प्रावधान मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना हेतु ₹196 करोड़ का प्रावधान मुख्यमंत्री सहकारी दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना हेतु ₹150 करोड़ का प्रावधान गौ अभ्यारण्य अनुसंधान एवं उत्पादन केन्द्र हेतु ₹100 करोड़ का प्रावधान
मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हेतु ₹102 करोड़ का प्रावधान
सहकारिता	सहकारी बैंकों को अंशपूँजी हेतु ₹1000 करोड़ का प्रावधान सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर व्याज अनुदान हेतु ₹600 करोड़ का प्रावधान

	प्राथमिक साख सहकारी समितियों को प्रबंधकीय अनुदान हेतु ₹149 करोड़ का प्रावधान
<b>स्वास्थ्य क्षेत्र</b>	
आयुष	<p>आयुष चिकित्सालय एवं औषधालय हेतु ₹405 करोड़ का प्रावधान</p> <p>आयुष महाविद्यालय हेतु ₹115 करोड़ का प्रावधान</p> <p>राष्ट्रीय आयुष मिशन हेतु ₹102 करोड़ का प्रावधान</p>
चिकित्सा शिक्षा	<p>चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय हेतु ₹2452 करोड़ का प्रावधान</p> <p>रतलाम/दतिया/शिवपुरी एवं सतना चिकित्सा महाविद्यालय हेतु ₹631 करोड़ का प्रावधान</p> <p>नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों का निर्माण (राज्य सहायित) हेतु ₹400 करोड़ का प्रावधान</p> <p>नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना हेतु ₹400 करोड़ का प्रावधान</p> <p>चिकित्सा महाविद्यालय में पी.जी. पाठ्यक्रम का सुदृढ़ीकरण हेतु ₹201 करोड़ का प्रावधान</p> <p>पी.एम.एस.एस.वाय. परि. अंतर्गत सुपरस्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना (राज्य सहायित) हेतु ₹120 करोड़ का प्रावधान</p> <p>एम.बी.बी.एस. सीट्स में वृद्धि हेतु ₹115 करोड़ का प्रावधान</p> <p>चिकित्सा शिक्षा संचालनालय हेतु ₹101 करोड़ का प्रावधान</p> <p>छिंदवाड़ा इस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस हेतु ₹100 करोड़ का प्रावधान</p>
भोपाल गैस ब्रासटी, राहत तथा पुनर्वास	स्वास्थ्य सेवाएं गैस राहत हेतु ₹145 करोड़ का प्रावधान
महिला एवं बाल विकास	<p>मुख्यमंत्री लाइली बहना योजना 2023 हेतु ₹18984 करोड़ का प्रावधान</p> <p>आंगनवाड़ी सेवाएं (सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0) हेतु ₹3469 करोड़ का प्रावधान</p> <p>लाइली लक्ष्मी योजना हेतु ₹1231 करोड़ का प्रावधान</p> <p>न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना हेतु ₹1167 करोड़ का प्रावधान</p> <p>महिला एवं बाल कल्याण संचालनालय हेतु ₹423 करोड़ का प्रावधान</p> <p>प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पी एम द्वी वाई) (मिशन शक्ति सामर्थ्य) हेतु ₹350 करोड़ का प्रावधान</p> <p>पोषण अभियान (एनएनएम) (सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0) हेतु ₹200 करोड़ का प्रावधान</p> <p>आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिये भवन निर्माण हेतु ₹150 करोड़ का प्रावधान</p> <p>समेकित बाल संरक्षण योजना (आई सी पी एस) (मिशन वात्सल्य) हेतु ₹130 करोड़ का प्रावधान</p> <p>नॉन इस्टीट्यूशनल केयर स्पॉनसरशिप, फॉस्टर हेतु ₹110 करोड़ का प्रावधान</p>
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	<p>राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन यू एच एम/एन आर एच एम) हेतु ₹4500 करोड़ का प्रावधान</p> <p>15वें वित आयोग की अनुशंसा पर स्वास्थ्य क्षेत्र के लिये अनुदान हेतु ₹2104 करोड़ का प्रावधान</p> <p>जिला /सिविल अस्पताल एवं औषधालय हेतु ₹1680 करोड़ का प्रावधान</p> <p>स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन (प्राथमिक) हेतु ₹1413 करोड़ का प्रावधान</p> <p>प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) हेतु ₹981 करोड़ का प्रावधान</p> <p>उप स्वास्थ्य केन्द्र हेतु ₹668 करोड़ का प्रावधान</p> <p>मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता हेतु ₹500 करोड़ का प्रावधान</p> <p>आशा कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन हेतु ₹490 करोड़ का प्रावधान</p> <p>आयुष्मान भारत (नान एस.ई.सी.सी. हितग्राही) हेतु ₹400 करोड़ का प्रावधान</p> <p>बहुउद्देशीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम हेतु ₹365 करोड़ का प्रावधान</p> <p>प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन हेतु ₹350 करोड़ का प्रावधान</p> <p>सामुदायिक स्वास्थ्य/ उप स्वास्थ्य/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण हेतु ₹326 करोड़ का प्रावधान</p> <p>शीत ज्वर हेतु ₹252 करोड़ का प्रावधान</p> <p>अस्पताल और औषधालयों के भवन निर्माण हेतु ₹250 करोड़ का प्रावधान</p> <p>निदेशन और प्रशासन हेतु ₹195 करोड़ का प्रावधान</p> <p>विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण हेतु ₹121 करोड़ का प्रावधान</p> <p>स्वास्थ्य संस्थाओं की सुरक्षा एवं सफाई व्यवस्था हेतु ₹100 करोड़ का प्रावधान</p>
<b>शिक्षा क्षेत्र</b>	
उच्च शिक्षा	<p>कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय हेतु ₹2390 करोड़ का प्रावधान</p> <p>अतिथि विद्वानों को मानदेय हेतु ₹271 करोड़ का प्रावधान</p> <p>म.प्र. उच्च शिक्षा में सुधार हेतु ₹244 करोड़ का प्रावधान</p> <p>शासकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण आदि हेतु ₹205 करोड़ का प्रावधान</p> <p>राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना का क्रियान्वयन हेतु ₹154 करोड़ का प्रावधान</p> <p>अशासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों को पोषण अनुदान हेतु ₹141 करोड़ का प्रावधान</p>
खेल एवं युवक कल्याण	<p>खेलों इंडिया एम.पी. हेतु ₹166 करोड़ का प्रावधान</p> <p>खेल अकादमियों की स्थापना हेतु ₹148 करोड़ का प्रावधान</p>

	स्टेडियम एवं खेल अधीसंरचना निर्माण हेतु ₹127 करोड़ का प्रावधान
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	व्यावसायिक प्रशिक्षण का सुदृढीकरण एवं विस्तार हेतु ₹708 करोड़ का प्रावधान ए.डी.बी. परियोजना (कौशल विकास) हेतु ₹469 करोड़ का प्रावधान मुख्यमंत्री कौशल अप्रैटिसेशिप योजना हेतु ₹301 करोड़ का प्रावधान मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना हेतु ₹300 करोड़ का प्रावधान स्वशासी तकनीकी संस्थाओं को सहायता हेतु ₹250 करोड़ का प्रावधान पोलीटेक्निक संस्थाएं हेतु ₹223 करोड़ का प्रावधान
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	प्रदेश में आई.टी.पार्क की स्थापना हेतु ₹107 करोड़ का प्रावधान
स्कूल शिक्षा	सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना हेतु ₹11485 करोड़ का प्रावधान माध्यमिक शालायें हेतु ₹6705 करोड़ का प्रावधान समग्र शिक्षा अभियान हेतु ₹5100 करोड़ का प्रावधान शासकीय हाई / हायर सेकेण्डरी शालायें हेतु ₹3389 करोड़ का प्रावधान सी. एम. राइज हेतु ₹2738 करोड़ का प्रावधान अतिथि शिक्षकों का मानदेय हेतु ₹933 करोड़ का प्रावधान आर.टी.इ. के तहत अशासकीय विद्यालयों को ट्र्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति हेतु ₹500 करोड़ का प्रावधान साइकिलों का प्रदाय हेतु ₹310 करोड़ का प्रावधान पंचायती राज संस्थाओं के अध्यापक तथा संविदा शाला शिक्षकों को वेतन/मानदेय हेतु ₹279 करोड़ का प्रावधान विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण हेतु ₹228 करोड़ का प्रावधान पी.एम.श्री हेतु ₹225 करोड़ का प्रावधान स्टार्स परियोजना हेतु ₹168 करोड़ का प्रावधान शासकीय स्कूल / छात्रावास / पुस्तकालय / आवासीय खेलकूद भवनों का निर्माण एवं विस्तार हेतु ₹151 करोड़ का प्रावधान अशासकीय शालाओं को अनुदान हेतु ₹125 करोड़ का प्रावधान निःशुल्क पाठ्य सामग्री का प्रदाय हेतु ₹124 करोड़ का प्रावधान जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की स्थापना हेतु ₹114 करोड़ का प्रावधान विकास खण्ड स्तर कार्यालय की स्थापना -मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए हेतु ₹113 करोड़ का प्रावधान जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था -मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए हेतु ₹104 करोड़ का प्रावधान शिक्षा उपकर से ग्रामीण शालाओं का उन्नयन एवं संधारण हेतु ₹100 करोड़ का प्रावधान

### सामाजिक क्षेत्र

अनुसूचित जाति कल्याण	अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां (महाविद्यालय व अन्य) हेतु ₹765 करोड़ का प्रावधान अनुसूचित जाति छात्रावास हेतु ₹281 करोड़ का प्रावधान अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण (आकस्मिकता योजना) नियम 2015 के अंतर्गत राहत हेतु ₹158 करोड़ का प्रावधान एकीकृत छात्रावास योजना हेतु ₹150 करोड़ का प्रावधान प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना हेतु ₹129 करोड़ का प्रावधान विविध छात्रवृत्तियां हेतु ₹105 करोड़ का प्रावधान अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को आवास सहायता हेतु ₹104 करोड़ का प्रावधान सीनियर छात्रावास हेतु ₹103 करोड़ का प्रावधान
जनजातीय कार्य	प्राथमिक शालाएं हेतु ₹4024 करोड़ का प्रावधान माध्यमिक शालाएं हेतु ₹2553 करोड़ का प्रावधान शासकीय हाई / हायर सेकेण्डरी शालायें हेतु ₹1178 करोड़ का प्रावधान सी. एम. राइज हेतु ₹667 करोड़ का प्रावधान 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालय छात्रवृत्ति हेतु ₹500 करोड़ का प्रावधान पीछीटीजी आहार अनुदान योजना हेतु ₹450 करोड़ का प्रावधान म.प्र. स्पेशल एण्ड रेसिडेंसियल एकेडमिक सोसायटी हेतु ₹443 करोड़ का प्रावधान सीनियर छात्रावास हेतु ₹423 करोड़ का प्रावधान आई.टी.डी.पी. / माडा पॉकेट / क्लस्टर में स्थानीय विकास कार्यक्रम हेतु ₹259 करोड़ का प्रावधान आश्रम हेतु ₹229 करोड़ का प्रावधान एकीकृत छात्रावास योजना हेतु ₹208 करोड़ का प्रावधान अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को आवास सहायता हेतु ₹200 करोड़ का प्रावधान अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में विविध विकास कार्य अनुच्छेद २७५(१) हेतु ₹150 करोड़ का प्रावधान जूनियर छात्रावास हेतु ₹139 करोड़ का प्रावधान छात्रवृत्ति कक्षा 9वीं एवं 10वीं हेतु ₹125 करोड़ का प्रावधान

	जिला प्रशासन हेतु ₹121 करोड़ का प्रावधान विशेष पिछड़ी जनजातियों का विकास हेतु ₹100 करोड़ का प्रावधान 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालय छात्रवृत्ति (2.50 लाख से अधिक आय वर्ग हेतु) हेतु ₹100 करोड़ का प्रावधान
पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक कल्याण	11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालय छात्रवृत्ति (2.50 लाख से अधिक आय वर्ग हेतु) हेतु ₹900 करोड़ का प्रावधान छात्रवृत्ति कक्षा 9वीं एवं 10वीं हेतु ₹288 करोड़ का प्रावधान 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालय छात्रवृत्ति हेतु ₹200 करोड़ का प्रावधान अल्प संख्यक बाहुल्य जिलों में विकास कार्यक्रम हेतु ₹140 करोड़ का प्रावधान
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण हेतु ₹2400 करोड़ का प्रावधान इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पैशन हेतु ₹1144 करोड़ का प्रावधान इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पैशन हेतु ₹392 करोड़ का प्रावधान दीनदयाल अन्त्योदय मिशन को आर्थिक सहायता (मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना) हेतु ₹250 करोड़ का प्रावधान
<b>अधोसंरचना क्षेत्र</b>	
ऊर्जा	15वें वित्त आयोग के अनुसार अपेक्षित सुधार करने पर सहायता हेतु ₹7612 करोड़ का प्रावधान अटल गृह ज्योति योजना हेतु ₹3500 करोड़ का प्रावधान रीवैम्प्ट डिस्ट्रीच्यूशन सेक्टर स्कीम (आर.डी.एस.एस.) हेतु ₹3156 करोड़ का प्रावधान म.प्र.वि.म. द्वारा 5 एच.पी. के कृषि पर्म्पों/थेशरों तथा एक बत्ती कनेक्शन को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु प्रतिपूर्ति हेतु ₹2300 करोड़ का प्रावधान अटल कृषि ज्योति योजना हेतु ₹780 करोड़ का प्रावधान म.प्र. उपकर अधिनियम 1982 के अन्तर्गत ऊर्जा विकास उपकर का ऊर्जा विकास निधि को अन्तरण हेतु ₹600 करोड़ का प्रावधान उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण हेतु ₹565 करोड़ का प्रावधान टैरिफ अनुदान हेतु ₹440 करोड़ का प्रावधान
जल संसाधन	बांध तथा संलग्न कार्य हेतु ₹2860 करोड़ का प्रावधान नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य हेतु ₹1197 करोड़ का प्रावधान कार्यपालिक स्थापना हेतु ₹1071 करोड़ का प्रावधान लघु एवं लघुतम सिंचाई योजनाओं हेतु ₹631 करोड़ का प्रावधान सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं का सौर ऊर्जाकरण हेतु ₹200 करोड़ का प्रावधान केन बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना हेतु ₹200 करोड़ का प्रावधान बांध तथा नहरें हेतु ₹116 करोड़ का प्रावधान नहरें तथा तालाब हेतु ₹110 करोड़ का प्रावधान
नर्मदा घाटी विकास	आई.एस.पी. कालीसिंध उद्धन माइक्रो सिंचाई योजना फेस-2 हेतु ₹750 करोड़ का प्रावधान नर्मदा (आई.एस.पी.) पार्वती लिंक परियोजना फेस 3 एवं 4 हेतु ₹600 करोड़ का प्रावधान चिको बौरास बैराज संयुक्त बहुउद्देशीय माइक्रो सिंचाई परियोजना हेतु ₹425 करोड़ का प्रावधान हाण्डिया बैराज परियोजना हेतु ₹400 करोड़ का प्रावधान मोरान्ड गंजाल परियोजना हेतु ₹400 करोड़ का प्रावधान काली सिंध लिंक परियोजना हेतु ₹350 करोड़ का प्रावधान एन.वी.डी.ए. के सभी बिजली बिल हेतु ₹320 करोड़ का प्रावधान बरगी नहर व्यपवर्तन योजना हेतु ₹300 करोड़ का प्रावधान खालवा उद्धन माइक्रो सिंचाई योजना हेतु ₹260 करोड़ का प्रावधान झिरन्या माइक्रो सिंचाई योजना हेतु ₹250 करोड़ का प्रावधान नर्मदा (आई.एस.पी.) पार्वती लिंक परियोजना फेस 1 एवं 2 हेतु ₹224 करोड़ का प्रावधान सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं का सौर ऊर्जाकरण हेतु ₹200 करोड़ का प्रावधान भू अर्जन हेतु मुआवजा हेतु ₹200 करोड़ का प्रावधान सांवेद माइक्रो उद्धन सिंचाई योजना हेतु ₹200 करोड़ का प्रावधान हाट पिपल्या सिंचाई योजना हेतु ₹200 करोड़ का प्रावधान सरदार सरोवर के डुबान से प्रभावित क्षेत्र का भू अर्जन तथा अन्य कार्यों पर खर्च हेतु ₹154 करोड़ का प्रावधान नर्मदा-झाबुआ-पेटलाघाद-थांदला-सरदारपुर उद्धन योजना हेतु ₹120 करोड़ का प्रावधान
लोक निर्माण	ग्रामीण सड़कों एवं अन्य जिला मार्गों का निर्माण/उन्नयन हेतु ₹1500 करोड़ का प्रावधान केन्द्रीय सड़क निधि हेतु ₹1150 करोड़ का प्रावधान सड़कों का सुदृढीकरण हेतु ₹1100 करोड़ का प्रावधान एन्यूटी हेतु ₹825 करोड़ का प्रावधान मुख्य जिला मार्गों तथा अन्य का नवीनीकरण, उन्नतीकरण एवं डामरीकरण हेतु ₹750 करोड़ का प्रावधान

	अनुरक्षण और मरम्मत - साधारण मरम्मत हेतु ₹730 करोड़ का प्रावधान वृहद पुलों का निर्माण हेतु ₹675 करोड़ का प्रावधान मध्यप्रदेश सडक विकास कार्यक्रम (ए.डी.बी.) हेतु ₹600 करोड़ का प्रावधान नवीन ग्रामीण एवं अन्य जिला मार्गों का निर्माण/उन्नयन हेतु ₹350 करोड़ का प्रावधान संभागीय कार्यालय स्थापना हेतु ₹316 करोड़ का प्रावधान मुख्य जिला मार्गों का निर्माण/उन्नयन हेतु ₹300 करोड़ का प्रावधान सडक एवं सेतु हेतु संधारण कार्य हेतु ₹215 करोड़ का प्रावधान एन.डी.बी. से वित पोषण (सडक निर्माण) हेतु ₹200 करोड़ का प्रावधान एन.डी.बी. से वित पोषण (पुल निर्माण) हेतु ₹200 करोड़ का प्रावधान एफ टाईप से उच्च श्रेणी के शासकीय आवास एवं गैर आवासीय भवनों का अनुरक्षण हेतु ₹150 करोड़ का प्रावधान एफ टाईप एवं उससे नीचे की श्रेणी के शासकीय आवासों का अनुरक्षण हेतु ₹100 करोड़ का प्रावधान मध्यप्रदेश सडक विकास कार्यक्रम (ए.डी.बी.) हेतु ₹100 करोड़ का प्रावधान
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	जल जीवन मिशन (जे.जे.एम) नेशनल रस्ल ड्रिंगिंग वाटर मिशन हेतु ₹7672 करोड़ का प्रावधान पेयजल योजनाओं का जल निगम द्वारा कियान्वयन हेतु ₹703 करोड़ का प्रावधान प्रशासन हेतु ₹538 करोड़ का प्रावधान सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं का सौर ऊर्जाकरण हेतु ₹356 करोड़ का प्रावधान ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना हेतु ₹200 करोड़ का प्रावधान प्रदेश के जल प्रदाय गृहों की स्थापना एवं संधारण हेतु ₹199 करोड़ का प्रावधान नलकूपों (हेण्ड पंपों) का अनुरक्षण हेतु ₹133 करोड़ का प्रावधान ग्रामीण नल जल प्रदाय योजनाओं के संधारण हेतु ₹100 करोड़ का प्रावधान
<b>नगरीय एवं ग्रामीण विकास</b>	
ग्रामीण विकास	प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु ₹4000 करोड़ का प्रावधान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हेतु ₹3500 करोड़ का प्रावधान प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना हेतु ₹1788 करोड़ का प्रावधान प्रधानमंत्री जनमन योजना (आवास) हेतु ₹1000 करोड़ का प्रावधान प्रधानमंत्री सडक योजनान्तर्गत निर्मित सड़कों का नवीनीकरण एवं उन्नयन हेतु ₹901 करोड़ का प्रावधान प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण हेतु ₹900 करोड़ का प्रावधान राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हेतु ₹800 करोड़ का प्रावधान मुख्यमंत्री ग्राम सडक एवं अवसंरचना योजना हेतु ₹500 करोड़ का प्रावधान प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना अंतर्गत रसोइयों को मानदेय भुगतान की राज्य योजना हेतु ₹500 करोड़ का प्रावधान निर्मल भारत अभियान हेतु ₹500 करोड़ का प्रावधान प्रधानमंत्री जनमन योजना (सड़क) हेतु ₹500 करोड़ का प्रावधान मुख्य मंत्री आवास मिशन हेतु ₹390 करोड़ का प्रावधान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (वाटरशेड विकास) हेतु ₹300 करोड़ का प्रावधान ग्रामीण यांत्रिकी सेवा हेतु ₹268 करोड़ का प्रावधान विकास खण्ड कार्यालय हेतु ₹198 करोड़ का प्रावधान दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना- (डी.डी.यू.जी.के.वाय.) हेतु ₹150 करोड़ का प्रावधान
नगरीय विकास एवं आवास	प्रवेश कर से नगरीय निकायों को हस्तान्तरण हेतु ₹3600 करोड़ का प्रावधान अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एण्ड अर्बन ट्रान्सफॉर्मेशन (अमृत 2.0) हेतु ₹1499 करोड़ का प्रावधान मेट्रो रेल हेतु ₹1160 करोड़ का प्रावधान १५वें वित आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान हेतु ₹1158 करोड़ का प्रावधान स्थानीय निकायों को मूलभूत सेवाओं हेतु एक मुश्त अनुदान (राज्य करों में हिस्सा) हेतु ₹1111 करोड़ का प्रावधान हाउसिंग फॉर आल हेतु ₹1020 करोड़ का प्रावधान पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क के अधिभार से नगरीय निकायों द्वारा अथवा उनकी ओर से लिये गये ऋणों/ब्याज का प्रतिसंदाय हेतु ₹778 करोड़ का प्रावधान वैट कर प्रणाली लागू होने से इसकी क्षतिपूर्ति राशि का नगरीय निकायों को हस्तान्तरण हेतु ₹600 करोड़ का प्रावधान १५वें वित आयोग की अनुशंसा के अनुसार मिलियन शहरों को अनुदान हेतु ₹524 करोड़ का प्रावधान सिंहस्थ-2028 हेतु ₹505 करोड़ का प्रावधान पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क के अधिभार का नगरीय निकायों को हस्तान्तरण हेतु ₹466 करोड़ का प्रावधान मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना-चतुर्थ चरण हेतु ₹450 करोड़ का प्रावधान वाहनों पर कर से नगरीय निकायों को सडक मरम्मत के लिये अनुदान हेतु ₹408 करोड़ का प्रावधान कायाकल्प अभियान हेतु ₹400 करोड़ का प्रावधान

	शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0- यूज़ वाटर मेनेजमेंट हेतु ₹392 करोड़ का प्रावधान मास्टर प्लान रोड डेव्हलपमेंट स्कीम हेतु ₹250 करोड़ का प्रावधान मध्यप्रदेश अर्बन सर्विस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम (ए.डी.बी.) फेस-2 हेतु ₹215 करोड़ का प्रावधान एम.पी. अर्बन सर्विसेस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम (ए.डी.बी.) हेतु ₹203 करोड़ का प्रावधान एम.पी. अर्बन डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट (विश्व बैंक) हेतु ₹200 करोड़ का प्रावधान नगरीय क्षेत्रों में अधोसंरचना निर्माण हेतु ₹200 करोड़ का प्रावधान गवालियर स्मार्ट सिटी हेतु ₹198 करोड़ का प्रावधान नगरीय निकायों को समेकित अनुदान हेतु ₹151 करोड़ का प्रावधान यूनिटी मॉल का निर्माण हेतु ₹142 करोड़ का प्रावधान शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 हेतु ₹128 करोड़ का प्रावधान राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन हेतु ₹125 करोड़ का प्रावधान म.प्र. अर्बन सनीटेशन एण्ड एनायरमेंट सेक्टर प्रोग्राम (एम.पी.यू.एस.ई.पी.) (केएफ डब्ल्यू) हेतु ₹100 करोड़ का प्रावधान
पंचायत	१५वें वित आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान हेतु ₹4807 करोड़ का प्रावधान स्थानीय निकायों को मूलभूत सेवाओं हेतु एक मुश्त अनुदान (राज्य करों में हिस्सा) हेतु ₹3500 करोड़ का प्रावधान ग्रामीण क्षेत्रों के गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण हेतु ₹900 करोड़ का प्रावधान अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली के विरुद्ध अनुदान हेतु ₹900 करोड़ का प्रावधान सचिवीय व्यवस्था हेतु ₹426 करोड़ का प्रावधान पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित प्रभार हेतु ₹255 करोड़ का प्रावधान ग्राम स्वराज अभियान हेतु ₹177 करोड़ का प्रावधान
<b>सांस्कृतिक क्षेत्र</b>	
पर्यटन	पर्यटन अधोसंरचना का विकास हेतु ₹122 करोड़ का प्रावधान
संस्कृति	वेदान्त पीठ की स्थापना हेतु ₹341 करोड़ का प्रावधान
<b>रोजगार क्षेत्र</b>	
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	निवेश प्रोत्साहन योजना हेतु ₹2000 करोड़ का प्रावधान औद्योगिकीकरण अधोसंरचना विकास हेतु ₹490 करोड़ का प्रावधान भू-अर्जन, सर्वे एवं डिमार्केशन, सर्विस चार्ज हेतु ₹177 करोड़ का प्रावधान
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	एम.एस.एम.ई. प्रोत्साहन व्यवसाय निवेश संवर्धन/सुविधा प्रदाय योजना हेतु ₹699 करोड़ का प्रावधान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों का अधोसंरचना विकास हेतु ₹200 करोड़ का प्रावधान मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना हेतु ₹125 करोड़ का प्रावधान
<b>अन्य सेवाएं</b>	
खनिज साधन	जिला माइनिंग फण्ड हेतु ₹1300 करोड़ का प्रावधान खनिज अधिभार का राष्ट्रित निधि में अंतरण हेतु ₹930 करोड़ का प्रावधान
जन संपर्क	प्रिन्ट मीडिया हेतु ₹200 करोड़ का प्रावधान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रचार हेतु ₹146 करोड़ का प्रावधान विशेष अवसरों पर प्रचार हेतु ₹120 करोड़ का प्रावधान निदेशन और प्रशासन हेतु ₹113 करोड़ का प्रावधान
योजना, आर्थिक एवं सांस्थिकी	म.प्र. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना हेतु ₹578 करोड़ का प्रावधान विधायक स्वेच्छा अनुदान निधि से आर्थिक सहायता हेतु ₹173 करोड़ का प्रावधान
वाणिज्यिक कर	पालिका अधिनियम अंतर्गत पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क के अधिभार से प्राप्त राशि का निधि में अंतरण हेतु ₹982 करोड़ का प्रावधान म.प्र.परिवहन अधोसंरचना विकास निधि हेतु ₹473 करोड़ का प्रावधान जिला स्थापना हेतु ₹256 करोड़ का प्रावधान म.प्र. नगरीय. परिवहन अधोसंरचना विकास निधि हेतु ₹212 करोड़ का प्रावधान जिला कार्यपालिक स्थापना हेतु ₹194 करोड़ का प्रावधान स्टाम्पों की लागत हेतु ₹145 करोड़ का प्रावधान
<b>सामान्य सेवाएं</b>	
गृह	सामान्य व्यय (जिला स्थापना) हेतु ₹6121 करोड़ का प्रावधान सामान्य व्यय (विशेष पुलिस) हेतु ₹1851 करोड़ का प्रावधान आव्हान पर होने वाला व्यय हेतु ₹394 करोड़ का प्रावधान अपराध अनुसंधान विभाग हेतु ₹391 करोड़ का प्रावधान मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना हेतु ₹367 करोड़ का प्रावधान

	<p>वेतार केन्द्र भोपाल/ग्वालियर हेतु ₹305 करोड़ का प्रावधान</p> <p>पुलिस प्रशिक्षण शालाएं हेतु ₹247 करोड़ का प्रावधान</p> <p>पर्यवेक्षक कर्मचारी वृद्ध (रेल पुलिस - पश्चिम विभाग) हेतु ₹189 करोड़ का प्रावधान</p> <p>केन्द्रीकृत पुलिस कॉल सेन्टर एवं नियंत्रण कक्ष तंत्र हेतु ₹170 करोड़ का प्रावधान</p> <p>अभियोजन संचालनालय हेतु ₹147 करोड़ का प्रावधान</p> <p>पुलिस मुख्यालय हेतु ₹130 करोड़ का प्रावधान</p> <p>राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल वाहिनी की स्थापना हेतु ₹100 करोड़ का प्रावधान</p> <p>प्रशासकीय भवनों का निर्माण हेतु ₹100 करोड़ का प्रावधान</p>
जेल	केन्द्रीय तथा जिला जेलें हेतु ₹580 करोड़ का प्रावधान
राजस्व	<p>आरक्षित निधियों और जमा लेखाओं को अन्तरण - राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ.) हेतु ₹2248 करोड़ का प्रावधान</p> <p>जिला खर्च हेतु ₹1313 करोड़ का प्रावधान</p> <p>आरक्षित निधियों और जमा लेखाओं को अन्तरण - राज्य आपदा शमन निधि (एस.डी.एम.एफ.) हेतु ₹1193 करोड़ का प्रावधान</p> <p>आपदा प्रबंधन योजनाओं को बनाये जाने हेतु ₹1193 करोड़ का प्रावधान</p> <p>राजस्व पुस्तक 6-4 के अंतर्गत आपदा में आर्थिक सहायता हेतु ₹800 करोड़ का प्रावधान</p> <p>बाढ़ तथा अतिवृष्टि पीड़ितों को राहत हेतु ₹650 करोड़ का प्रावधान</p> <p>उप संभागीय स्थापना हेतु ₹472 करोड़ का प्रावधान</p> <p>जिला स्थापना हेतु ₹411 करोड़ का प्रावधान</p> <p>तहसील जिला एवं संभाग के भवन निर्माण हेतु ₹350 करोड़ का प्रावधान</p> <p>१५वे वित आयोग के अंतर्गत क्षमता निर्माण हेतु ₹282 करोड़ का प्रावधान</p> <p>आदेशिका वाहक स्थापना हेतु ₹259 करोड़ का प्रावधान</p> <p>ओला पीड़ितों को राहत हेतु ₹200 करोड़ का प्रावधान</p> <p>भू-प्रबंधन हेतु ₹195 करोड़ का प्रावधान</p> <p>सर्पदंश पर आर्थिक सहायता हेतु ₹110 करोड़ का प्रावधान</p>
वन	<p>कार्यकारी योजना संगठन एवं कार्यकारी वन यूटों की स्थापना हेतु ₹1397 करोड़ का प्रावधान</p> <p>केम्पा निवल वर्तमान मूल्य हेतु ₹1129 करोड़ का प्रावधान</p> <p>प्रतिकारात्मक वन रोपड निधि पर व्याज भूगतान हेतु ₹550 करोड़ का प्रावधान</p> <p>कार्य योजनाओं का क्रियान्वयन - संरक्षण समूह हेतु ₹526 करोड़ का प्रावधान</p> <p>संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को लाभांश का प्रदाय हेतु ₹200 करोड़ का प्रावधान</p> <p>राष्ट्रीय उद्यान स्थापना हेतु ₹169 करोड़ का प्रावधान</p> <p>इमारती लकड़ी का उत्पादन हेतु ₹159 करोड़ का प्रावधान</p> <p>केम्पा प्रतिपूरक वनीकरण हेतु ₹151 करोड़ का प्रावधान</p> <p>वन्यजीव पर्यावास का समन्वित विकास हेतु ₹112 करोड़ का प्रावधान</p>
विधि एवं विधायी कार्य	<p>सामान्य स्थापना हेतु ₹2038 करोड़ का प्रावधान</p> <p>संसद के लिए चुनाव कराने के प्रभार हेतु ₹306 करोड़ का प्रावधान</p> <p>न्यायालय भवनों का निर्माण हेतु ₹300 करोड़ का प्रावधान</p> <p>उच्च न्यायालय (भारित) हेतु ₹278 करोड़ का प्रावधान</p> <p>पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत फास्टट्रैक कोर्ट की स्थापना हेतु ₹156 करोड़ का प्रावधान</p> <p>राज्य विधान मण्डल के निर्वाचन के प्रभार हेतु ₹141 करोड़ का प्रावधान</p> <p>परिवार न्यायालयों की स्थापना हेतु ₹127 करोड़ का प्रावधान</p>
श्रम	<p>मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना हेतु ₹600 करोड़ का प्रावधान</p> <p>कर्मचारी राज्य बीमा योजना हेतु ₹281 करोड़ का प्रावधान</p>
सामान्य प्रशासन	<p>सचिवालय हेतु ₹273 करोड़ का प्रावधान</p> <p>मुख्य मंत्री वैयेकिक अनुदान हेतु ₹200 करोड़ का प्रावधान</p>